राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांकः रा.मा.शि.प/जय/EC-19/2016–17/5943 दिनांकः 08/09/2016

शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,
शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषयः– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 19वीं बैठक दिनांक 30.08.16 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, की निष्पादक समिति की 19वीं बैठक दिनांक 30 अगस्त, 2016 का कार्यवाही विवरण संलग्न कर अवलोकनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज (राजस्थान) शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौधोगिकी विभाग,राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 22 गोदाम पुलिया के पास, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, महिला सशक्तिकरण, झालाना डूंगरी, जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक (आई.ई.सी.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
10. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
11. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
12. निजी सहायक, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, डॉ॰ राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जयपुर।
13. निजी सहायक, निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
14. निजी सहायक, निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
15. निजी सहायक, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
16. निजी सहायक, सचिव राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
17. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
18. नियंत्रक वित्त रामाशिप., जयपुर।
19. अधीक्षण अभियंता रामाशिप., जयपुर।
20. उपायुक्त, प्रथम/द्वितीय, रामाशिप., जयपुर।
21. राज्य समन्वयक, रामाशिप., जयपुर।
22. उपनिदेशक/सहायक निदेशक समस्त रामाशिप., जयपुर को देकर लेख है कि अपनी शाखा से सम्बन्धित अनुपालना सुनिश्चित करें।
23. एम.आई.एस प्रभारी को देकर लेख है कि परिषद् की वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।
24. कार्यालय प्रति।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

निष्पादक समिति की 19वीं बैठक

कार्यवाही–विवरण

दिनांक–30 अगस्त 2016

पढ़े चलो, बढ़े चलो
RASHTRIYA MADHYAMIK SHIKSHA ABHIYAN

डॉ० एस.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302017, दूरभाष: 0141–5192255

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 19वीं बैठक का कार्यवृत–दिनांक 30.08.2016

शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में निष्पादक समिति की बैठक दिनांक 30.08.2016 को मंथन सभागार, शिक्षा संकुल जयपुर में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनु. 'अ' पर संलग्न हैं। बैठक में रामाशिप. द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यो के सक्षिप्त विवरण की प्रस्तुति पश्चात् एजेण्डा वार विचार–विमर्श किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
1	**प्रस्ताव संख्या–1** निष्पादक समिति की दिनांकः– 29.02.2016 को आयोजित अठाहरवीं बैठक में लिये गये निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का अनुमोदन एवं अनुरोधः– दिनांकः–29.02.2016 को आयोजित निष्पादक समिति की अठाहरवीं बैठक में लिये गये निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का विवरण (परिशिष्ट–1) में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	18वीं निष्पादक समिति बैठक 29.02.2016 के प्रस्ताव संख्या 4 व 10 का क्रियान्वयन लम्बित है। इनकी अनुपालना शीघ्र किये जाने के निर्देश के साथ अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।
2	**प्रस्ताव संख्या–2** रमसा के पी.ए.बी 2016–17 के अनुसार 4200 प्रधानाचार्यों के 16 दिवसीय लीडरशिप प्रशिक्षण (professional development of principals) हेतु 201.600 लाख का प्रावधान है। इसमें से पूर्व में लिए लक्ष्य प्रावधान के अनुसार RMSA द्वारा 3200 प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान में शिक्षा अधिकारियों के शैक्षिक एवं प्रबंधन उन्नयन हेतु सीमेट स्थापित है, जो समय समय पर शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्य करती है। वर्तमान में सीमेट का लीडरशिप एकेडमी के रुप में चयन भी किया जा चुका है। इसे देखते हुए पूर्व बैठकों में एवं दिनांक 02.08.2016 को श्रीमान शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित लीडरशिप बैठक में हुई चर्चानुसार शेष 1000 प्रधानाचार्यो का लीडरशिप प्रशिक्षण बजट 48 लाख सीमेट को हस्तान्तरित किया जाना है। इस बैठक में न्यूपा, नई दिल्ली की प्रतिनिधि डॉ, कश्यप अवस्थी भी उपस्थित थी। इस बजट के उपयोग से सीमेट द्वारा रमसा के लक्ष्य में शामिल प्रधानाचार्यो (आदर्श विघालय व मॉडल विघालय) को छोडकर अन्य शेष (1000) प्रधानाचार्यों को 16 दिवसीय लीडरशिप प्रशिक्षण (न्यूपा मॉडयूल आधारित) दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में न्यूपा द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। अतः सीमेट को 1000 प्रधानाचार्यों के लीडरशिप प्रशिक्षण बजट (48 लाख) हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित हैं। **प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।**	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
3	**प्रस्ताव संख्या–3**	

वर्ष 2014–15 में माननीया मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में राज्य में 66 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों का संचालन सत्र 2014–15 में किया गया। सत्र 2014–15 में इन विद्यालयों में 6 से 8 प्रारम्भ की गई तथा सत्र 15–16 व 16–17 में क्रमश 9 व 10 कक्षाएं प्रारम्भ की गई है। सत्र 2017–18 से कक्षा 11 व सत्र 2018–19 से कक्षा 12 प्रारम्भ की जावेगी।

इन मॉडल विद्यालयों में प्रति कक्षा दो सेक्शन तथा प्रति सेक्शन 40–45 विद्यार्थियों का प्रावधान है। आर.टी.ई. के तहत प्रत्येक टीजीटी को सप्ताह में 36 कालांश निर्धारित है। मॉडल स्कूल समय विभाग चक्र अनुसार प्रति दिवस 8 कालांश संचालित होते है।

प्रत्यके मॉडल स्कूल में कक्षा 6 से 10 के लिए (10 सेक्शन) के लिए निम्नानुसार पद स्वीकृत है।

No. of Existing Post (Sanctioned from State Govt.) in 66 Models schools	Grade Pay	No of post
Principal	Grade Pay 6600	66
TGT(Hindi, Eng.Science,Maths,Social Science and Sanskrit)	Grade Pay 4200	792
Computer Teacher	Grade Pay 4200	66
UDC	Grade Pay 2800	66
LDC	Grade Pay 2400	66
Lib.	Grade Pay 4200	66
PTI CUM YOGA Instructor- full Time	By Placement Agency	66
WET, Drawing, Music Teachers on work basis-Part Time	By Placement Agency	66x3=198

सक्षम अनुमोदन उपरांत आदेश क्रमांक रामाशिप/जय/ मॉडल स्कूल/ सीबीएसई–159/692 दिनांक 15.02.2016 अनुसार इन विद्यालयों में सत्र 2017–18 से कक्षा 11 व 2018–19 में कक्षा 12 में विज्ञान संकाय का संचालन निम्नानुसार किया जा सकेगा।

S.N.	Section A (Bio Group)	Section B (Maths Group)
1	English Elective NCERT	English Elective NCERT
2	Biology	Maths
3	Physics	Physics
4	Chemistry	Chemistry
5	Information pactices/ Physical Education / Maths/ Economics	Information pactices/ Physical Education/Biology/Economics

1. क्रम संख्या 5 पर विकल्प के रूप में दिये गये विषयों में से कोई भी दो विषय विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति तथा अभिभावकों की बैठक मे चर्चा कर विद्यालय में लागू किया जा सकता है।
2. पॉचवें विषय के रूप में विद्यार्थी को विद्यालय में लागू दो विषय मे से एक विषय का चयन करना होगा।

उपरोक्त के क्रम में सीबीएसई द्वारा स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, झालरापाटन हेतु जारी नियमित मान्यता की अनुमति प्रदान की गई है

सीबीएसई निर्देशानुसार पीजीटी को प्रति सप्ताह 33 कालांश निर्धारित है तथा प्रति वैकल्पिक विषय सप्ताह मे 9 कालांश निर्धारित है।

सीबीएसई द्वारा जारी पत्र के निर्देशानुसार बिन्दु 3 की पालना में इन विद्यालयों में कक्षा 11 व 12 के अध्यापन हेतु विभिन्न विषयों के पीजीटी पदों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। अतः निम्नानुसार पदों के सृजन की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया जावें।

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय

क्र. सं	पद	प्रति विद्यालय संख्या	कुल संख्या	ग्रेड पे
1.	**अध्यापक ग्रेड–I (PGT)**	–	66x7= 462	4800
(i)	English	1		
(ii)	Chemistry	1		
(iii)	Physics	1		
(iv)	Biology	1		
(V)	Maths	1		
(vi)	(Information pactices / Physical Education / Economics में से)	प्रति विद्यालय 2 विषय हेतु		
2	**प्रयोगशाला सहायक**		66x3= 198	3600
(i)	Biology	1		
(ii)	Chemistry	1		
(iii)	Physics	1		
3.	**प्रयोगशाला सेवक**		66x3= 198	2000
(i)	Biology	1		
(ii)	Chemistry	1		
(iii)	Physics	1		

अतः उक्त उल्लेखित विवरण अनुसार पदों की स्वीकृति करवाया जाना प्रस्तावित हैं।

प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

4 **प्रस्ताव संख्या–4**

राजस्थान राज्य में वित्तीय वर्ष 2014–15 से भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत संचालित "व्यावसायिक शिक्षा योजना" का शुभारम्भ किया गया। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य के 70 विद्यालयों में 04 व्यवसाय यथा (1) Beauty & Wellness (2) Healthcare (3) Automobile (4) IT/ITes में व्यावसायिक शिक्षा विषय का शिक्षण कार्य करवाने हेतु राज्य स्तर से 08 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं का चयन किया गया था।

योजना की सफलता को देखते हुये वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार द्वारा तीन अतिरिक्त व्यवसाय यथा (1) Retail (2) Security (3) Travel & Tourism को शामिल करते हुए 220 विद्यालयों का आवंटन किया गया। उपरोक्त विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षक उपलब्ध करवाने हेतु राज्य स्तर पर पूर्व में चयनित 08 में से 06 को तथा 05 अतिरिक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं का चयन कर कुल 11 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं का चयन किया गया।

प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया जावें।

राज्य समन्वयक को 50000/– प्रतिमाह, लेखाकर्मी की जगह लेखाकार को कार्य आधार पर अनुबंधित लेने का एवं मशीन विद मेन का निर्णय लिया गया।

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय

चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा 380 अतिरिक्त विद्यालयों का आवंटन किया गया जिसमें अतिरिक्त 3 व्यवसाय यथा (1) Micro irrigation technican (2) Apparel Madeup & home furnishing (3) Electrical & Electronic को शामिल किया गया, इस हेतु राज्य स्तर पर कुल 19 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं का चयन किया गया, जिन्हे निम्नानुसार व्यवसायवार विद्यालयों का आवंटन किया गया।

वर्तमान में 670 विद्यालयों हेतु कुल 20 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता कार्य कर रहे है, इस प्रकार वर्ष 2015–16 की तुलना में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार दुगने से भी अधिक हुआ है जो निम्नानुसार है:–

क्र. सं	वर्ष	व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय	व्यवसायों की संख्या	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP)	व्यावसायिक प्रशिक्षक	प्रतिमाह VTP's द्वारा प्रस्तुत बिलों की संख्या
01	2014–15	70	04	08	140	08
02	2015–16	220	06	11	440	19
03	2016–17	380	09	19	760	38
04	वृद्धि 2015–16 के संदर्भ में	73%	43%	73%	73%	100%

वर्तमान में प्रकोष्ठ में एक उपनिदेशक (जिसके पास अन्य कई प्रभार भी आवंटित है), एक सहायक निदेशक, एक कनिष्ठ लिपिक, एक एमआईएस, एक सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी एवं एक कम्यूटर ऑपरेटर कार्यरत है।

किन्तु प्रकोष्ठ में वर्ष 2015–16 की तुलना में 2016–17 में कार्य वृद्धि एवं आगामी वर्षों में संभावित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में प्रकोष्ठ में स्वीकृत पद एवं कार्यरत अधिकारीं/कर्मचारी पर्याप्त नहीं है। अतः व्यावसायिक शिक्षा प्रकोष्ठ के अन्तर्गत संचालित कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु इस प्रकोष्ठ का विस्तार किया जाना नितान्त आवश्यक है। इसके लिये निम्नानुसार अतिरिक्त पद सृजन के प्रस्ताव प्रस्तुत हैं:–

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय

क्र. सं	पदनाम	समकक्षता	वेतन श्रृंखला	नियमित / सेवानिवृत / अनुबन्धित
01	उपनिदेशक	प्रधानाचार्य (विद्यालय शिक्षा)	15600–39100	नियमित
02	सहायक निदेशक	व्याख्याता /HM (विद्यालय शिक्षा)	9300–34800	नियमित
03	राज्य समन्वयक	–	–	अनुबन्धित
04	लेखाकर्मी	–	–	सेवानिवृत
05	कम्प्यूटर ऑपरेटर	–	–	अनुबन्धित

अतः उक्त उल्लेखित विवरण अनुसार पदों की स्वीकृति करवाया जाना प्रस्तावित हैं।

प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

5 **प्रस्ताव संख्या–5**

परिषद राज्य कार्यालय में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में संचालित आईईडीएसएस योजना के तहत वर्ष 2015–16 में 249 ब्लॉक्स में रिसोर्स केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है एवं वर्ष 2016–17 में 46 ब्लॉक्स में रिसोर्स केन्द्रों की स्थापना की जानी है जिसमें प्रत्येक रिसोर्स केन्द्र पर एक–एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति करवाना एवं ब्लॉक्स के समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को सम्बलन प्रदान किया जाना है, जो कि महत्त्वपूर्ण कार्य है। उक्त योजना के प्रभावी संचालन, सफल क्रियान्वयन एवं समुचित मॉनिटरिंग हेतु परिषद स्तर पर **एक पद उपनिदेशक (आईईडीएसएस)** की स्वीकृति एवं उनका भुगतान रामाशिप से किये जाने हेतु एजेण्डा प्रस्ताव प्रेषित है। विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	नाम पद	योग्यता	वेतनमान	संख्या	विशेष विवरण
1	उपनिदेशक (प्रतिनियुक्त)	प्रधानाचार्य (माध्यमिक शिक्षा) एवं समकक्ष	वेतनमान संख्या–18 (15600–39100), ग्रेड–पे 6600/–	01	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के राज्य कार्यालय हेतु

अतः उक्त उल्लेखित विवरण अनुसार उपनिदेशक पद स्वीकृत करवाया जाना प्रस्तावित हैं।

प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया जावें।

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
6	**प्रस्ताव संख्या–6** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विभिन्न अनुभागों हेतु दूरभाष कनेक्टिविटी की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त सर्वर की आवश्यकता हैं। इस पर होने वाला व्यय रमसा की एमएमईआर मद से किया जाना प्रस्तावित हैं। **प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।**	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
7	**प्रस्ताव संख्या–7** **वर्ष 2016–17 में उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची में यू–डाईस कोड में संशोधन** राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में की गई बजट घोषणा के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों में रा.उ.मा.वि. खोले जाने हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विद्यालय की ग्राम पंचायत में पूर्व में ही उ.मा.वि. है तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में इन ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं। भारत सरकार से प्रेषित प्रस्ताव तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के प्रेषित प्रस्ताव में जिला एवं गांव का नाम समान है, केवल यू–डाईस कोड में अन्तर हैं। वर्ष गांवों का नाम एक समान ही होने से विद्यालयों के कोड परिवर्तन किये गये थे। अतः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर तथा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, डूंगरपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार उक्त विद्यालयों के डाईस कोड़ निम्नानुसार संशोधन किया गया हैं।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

स्वीकृत विद्यालय का कोड				संशोधित विद्यालय कोड		
क्र. सं.	यू–डाईस कोड	जिला	विद्यालय का नाम	यू–डाइस कोड	जिला	विद्यालय का नाम
1	8120615301	जयपुर	रा.उ.प्रा.वि., भूरानपुरा	8120703602	जयपुर	रा.उ.प्रा.वि., भूरानपुरा
2	8170401205	बाड़मेर	रा.उ.प्रा.वि., मालियों का बेरा	8170411902	बाड़मेर	रा.उ.प्रा.वि., मालियां का बेरा
3	8270206102	डूंगरपुर	रा.उ.प्रा.वि., खैरबेड़ा	8270209701	डूंगरपुर	रा.उ.प्रा.वि., खैरबेडा

उक्त संशोधन अध्यक्ष, निष्पादक समिति के अनुमोदन से कर दियो गया है। कार्योत्तर स्वीकृति हेतु निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
8	**प्रस्ताव संख्या–8** NIC, जयपुर द्वारा रा.मा.शि.प. के अनुमोदन के पश्चात् रमसा वेबपोर्टल का निर्माण किया। रमसा वेबपोर्टल के अन्तर्गत रमसा डायनेमिक वेबसाइट एवं रमसा की विभिन्न स्कीमों के ऑनलाइन मॉनिटरिंग मॉड्यूल विकसित किए जाने के अलावा श्रीमान सचिव महोदय के निर्देशन में मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में शालादर्पण ऑनलाइन इन्फोरमेशन सिस्टम का विकास किया गया है। जिसके तहत NIC जयपुर द्वारा राज्य के करीब 14000 विद्यालयों की आधारभूत सूचना के साथ करीब 40 लाख विद्यार्थियों की विस्तृत जानकारी तथा लगभग 1 लाख 90 हजार कार्मिकों का व्यक्तिगत तथा सेवा विवरण अद्यतन ऑनलाइन डेटाबेस में उपलब्ध करा दिया गया है। कार्मिकों की Joining /Reliving तथा विद्यार्थियों की TC/Exit एवं Promotion Online होने के साथ ही RMSA Webportal के शाला दर्पण लिंक पर उपलब्ध समयपरक, ड्रिल्डाउन रिपोर्टस की सहायता से रमसा की विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं संचालन विश्वसनीय रूप में सम्भव हो पा रहा है। उपरोक्त कार्यों की समय परक मोनिटरिंग फील्ड सहायता एवं नये मॉड्यूल्स के निर्माण हेतु राज्य सरकार स्तर पर राज्य शालादर्पण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। NIC द्वारा पूर्व में प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रस्ताव एक वर्ष (2015–16) के लिये था। वर्तमान सत्र 2016–17 में NIC राजस्थान स्तर पर रमसा वेबपोर्टल पर Annexure –A में वर्णित कार्य किया जाना प्रस्तावित है –	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

Cost Estimates for RMSA WebPortal Portal Year 2016-17

S. No.	Description	Amount (in Lacs)
1	Customization and Technical Support for already roll-out modules	09.00
2	Design, Development and Implementation of New Modules for RMSA Scheme's Monitoring like Civil Works, SAMBLAN, SIQE, IEDSS/CWSN, School Visits etc..) and ShaalaDarpan Modules like Student/Teachers Details, School Infrastructure, Student Result, SMS/Email to Teachers/Student /Offices, Office (DD/DEO/RMSA) staff monitoring etc..	24.00
3	Technical Support through Help Centre (Jaipur-RMSA site)	06.00
4	SMS Support	07.00
5	Application Security Audit	01.50
6	Contingency	02.50
7	Hardware (Desktop, Printer & UPS) as per Annexure "A" for ShaalaDrpan Cell	13.00
8	Communication Support Reimbursement to ShaalaDarpan Team	01.00
8	NICSI Service Charges	02.00
9	**Total**	**66.00**

SMS Cost covers, messages to be send to Schools Principal (about 10 Lakh), Teachers (About 20 Lakh) and application related like SMC/SMDC (about 2 Crore). Students attendance related SMS, not covers under this proposal.

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
	Hardware Requirements	

S. No.	Item Description	Quantity
1	Desktop	13
2	Network MF Laser Printer	2
3	Online UPS 5 KVA with one Hr Backup	2

NIC से चर्चा के अनुसार डवलपमेंट, तकनीकी सपोर्ट, SMS एवं शाला दर्पण प्रकोष्ठ के सुदृढिकरण पर, करीब **66 लाख** रूपये व्यय होना प्रस्तावित है ।

अतः प्रस्ताव निष्पादन समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

9 **प्रस्ताव संख्या–9**

मुख्यमंत्री महोदया के सुराज संकल्प मेनिफेस्टों 2013 के बिन्दू संख्या 10.36 व सीएमएसी शिक्षा सब ग्रुप एजेण्डा के बिन्दू संख्या 6 की पालना में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, झालरापाटन, झालावाड में सत्र 2016–17 से डे–बोर्डिग प्रारम्भ करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई (संलग्न–'अ') आदेशानुसार डे–बोर्डिग सुविधा प्रारम्भ करते समय वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय उपलब्ध बजट प्रावधान में से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान में मॉडल विद्यालयों में प्रति विद्यार्थी 4750 रू वार्षिक का बजट प्रावधान स्वीकृत है ।

तदानुसार स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में डे–बोर्डिंग व्यवस्थार्थ बैठक कार्यवृत दिनांक 04.02.2016 के निर्णयानुसार 2 कुक व 2 सहायक सेवाओं की व्यवस्था कार्य आधारित सेवाओं द्वारा सेवा प्रदाता एजेसी के माध्यम से ली जानी प्रस्तावित है।

डे–बोर्डिग विद्यालय की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के मिड डे मील की डे–बोर्डिग के समरूपता व भोजन से समरूपता हेतु प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति एवं दिशा निर्देश दिनांक 21.07.2016 को जारी कर दी गई।

संबंधित संस्था प्रधान द्वारा दिनांक 11.08.2016 से विद्यार्थियों हेतु अल्पाहार (प्रातःकालीन एवं सायंकालीन) व दोपहर भोजन की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई है। इस हेतु लेखा शाखा की टिप्पणी के आधार पर 2 अतिरिक्त कुक सेवा, शारदे बालिका छात्रावास की तर्ज पर तथा 2 सहायक सेवा स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय के निर्धारित प्रावधान अनुसार रखे जाने प्रस्तावित है (संलग्न–'द') मॉडल विद्यालय झालरापाटन में मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएम) के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 तक नामांकित 240 विद्यार्थियों के लिए तीन कुक कम हैल्पर पोषाहार बनाने के लिए कार्यरत है। उनको वर्तमान में एमडीएम योजनान्तर्गत प्रतिमाह 1000 रू नियमानुसार देय होता है। परन्तु डे–बोर्डिग विद्यालय झालरापाटन, झालावाड में इनको भी कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु 2 अतिरिक्त

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं कार्य आधारित अनुबन्ध कार्य से करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
	अल्पाहार व निर्धारित मैन्यू अनुसार दोपहर का भोजन तैयार करना है। अतः स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल झालरापाटन, झालावाड़ में प्रारम्भ किये गये डे–बोर्डिंग विद्यालय के लिए (1) 2 कुक सेवाएं सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से 5000 रू प्रतिमाह (सर्विस टैक्स नियमानुसार) की दर से एवं 2 सहायक सेवाएं 5000 रू प्रतिमाह (सर्विस टैक्स नियमानुसार) की दर से प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से एसडीएमसी के द्वारा लिये जाने तथा (2) वर्तमान में कार्यरत एमडीएम के कुक को अन्तर राशि (5000–1000=4000/–) देने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन निष्पादक समिति से कराये जाने हेतु एजेण्डा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।**	
10	**<u>प्रस्ताव संख्या–10</u>** (पूरक एजेण्डा) माध्यमिक शिक्षा विभाग व राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) के सहयोग से स्वैच्छिक व स्ववित्तपोषण आधारित कम्प्यूटर कौशल प्रशिक्षण हेतु ''क्लिक'' (Computer Literacy initiative for comprehensive knowledge) नाम से योजना शुरू की जानी है जिसके अंतर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित हैः– 1. माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत आने वाले राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय व स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। 2. प्रथम चरण में जिन विद्यालयों में कम्प्यूटर संसाधनों युक्त कम्प्यूटर लैब स्थापित है व कक्षा 6 से 10 में न्यूनतम नामांकन 200 है उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। 3. कक्षा 6 से 8 हेतु 50/– प्रतिमाह व कक्षा 9 से 10 हेतु 100/– प्रतिमाह फीस प्रस्तावित की गई है जिसका उल्लेख पाठ्क्रम विवरण सहित एम.ओ.यू. में किया जाएगा। 4. आर.के.सी.एल. के साथ लागु किए जाने वाले MOU पर विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में संस्था प्रधान हस्ताक्षर के लिए अधिकृत होगा। 5. आर.के.सी.एल. द्वारा नियुक्त अनुदेशक, योजना में पंजीकृत विद्यार्थियों को अध्यापन करवाएगा व प्रशिक्षण प्रदान करेगा व आर.के.सी.एल. द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री प्रदान की जाएगी। 6. निर्धारित प्रशिक्षण अवधि के पश्चात् विद्यार्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान कौशल का मूल्यांकन आर.के.सी.एल. द्वारा स्वयं या बाहरी एजेंसी द्वारा करवाया जाएगा तथा सफल विद्यार्थियों को विधिमान्य प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। 7. योजना की क्रियान्विति स्थिति, गुणवत्ता इत्यादि का पर्यवेक्षण व मॉनिटरिंग उत्तरदायित्व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वहन् किया जाएगा। 8. योजना अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जाएगा। **प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।**	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
11	**प्रस्ताव संख्या–11 (पूरक एजेण्डा)** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित बालिका छात्रावास, मॉडल स्कूल, जर्जर भवनों का पुर्ननिर्माण, विद्यालय विद्युतीकरण, डी.एल.एस.आर. निर्माण इत्यादि सिविल कार्यो की मॉनिटरिंग, क्रियान्वयन, क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की अभियांत्रिकी शाखा (ब्लॉक 06, शिक्षा संकुल, जयपुर, भूतल) में निम्नलिखित सेवाओं/सामग्री एवं सुविधाओं की स्वीकृति एवं उनका भुगतान रामाशिप., के एम.एम.ई.आर. मद से किया जाना प्रस्तावित हैं।	प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया जावें।

क्र. सं.	नाम सामग्री/सुविधा	तादाद	सम्भावित स्त्रोत	उपलब्ध स्थान
1	एम.आई.एस. सेवा	01 (पूर्व के अतिरिक्त)	सेवा प्रदाता एजेन्सी से	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की अभियन्त्रिकी शाखा (ब्लॉक–06, शिक्षा संकुल जयपुर, भूतल)
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा एवं प्रिन्टर सहित कम्प्यूटर मशीन (मैन विद् कम्प्यूटर मशीन)	01 सेट	सेवा प्रदाता एजेन्सी से	

प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

12	**प्रस्ताव संख्या–12 (पूरक एजेण्डा)** राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के Manual on Financial Management and Procurement for RMSA के अनुच्छेद 7.1.9 के अनुसार वैधानिक अंकेक्षण (Statutory Audit) कार्यो हेतु अनुमोदित फर्म मैसर्स जेठानी एण्ड एसोसिएटस, सी.ए. द्वारा वर्ष 2015–16 में परिषद् के अधीनस्थ संचालित योजनाओं यथा रमसा, व्यावसायिक शिक्षा, मॉडल स्कूल, बालिका छात्रावास, आई.ई.डी.एस.एस., आई.सी.टी. की वैधानिक ऑडिट (Statutory Audit) वर्ष 2015–16 का कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। **उक्त ऑडिट रिपोर्ट निष्पादक समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर